

अम्बालाल पुत्र मड्डू जाति मीना निवासी ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर



अपीलांटान

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पॉटेडान

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 171/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु०न० 133/14 निर्णय दिनांक 9.10.14 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री राधेश्याम बैष्णव
2. रेस्पॉटेडान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 171/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 133/14 दिनांक 9.10.14 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय दिनांक 9.10.14 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम बिच्छीदोना में फसल खरीफ सम्वत् 2071 में ख०न० 935 रकबा 0.04 है० गैर मुमकिन तलाई में अतिक्रमण कर गैर मुमकिन बाडा व पक्की दीवार बनाकर कब्जा किये जाने का दोषी मानकर अपीलार्थी को पृष्ठावर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित कर के से बंदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस में सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पॉटेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि विरुद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया। इसके उपरान्त भी अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन भूमि ख0न0 935 रकबा 0.04 है0 राजकीय भूमि है जो गैर मुमकिन तलाई नहीं है। जो गांव की आबादी के मध्य है। जो वर्तमान में खाली पड़ी है। अपीलांट का उस पर कोई अतिचार नहीं है। इसके उपरान्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट व उसके बयानों पर गलत रूप से विश्वास किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को मौके की जांच करनी चाहिए थी उसके उपरान्त अपीलांट को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। बल्कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश अवैधानिक रूप से पारित कर भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में कोई प्रेलेखीय साक्ष्य नहीं होते हुए भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपना आदेश स्वेच्छारी ढंग से पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिचार नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आलोच्य निर्णय दोनों अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 9.10.14 एवं दिनांकीय 15.12.17 अपास्त किया जावे।

रेस्प0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील में बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं की गई है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने का आदि होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई की भूमि है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमणों की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिच्छीदोना में फसल खरीफ सम्वत 2071 में ख0न0 935 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन तलाई में अतिक्रमण कर गैर मुमकिन बाड़ा व पक्की दीवार बनाकर कब्जा किये जाने के फलस्वरूप ही मातहत न्यायालय द्वारा सिविल कारावास, शास्ति एवं बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट का यह कथन

मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने की अपेक्षा की गई थी परन्तु बाबजूद तामिल अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र पेश किया है परन्तु अपीलांत द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया गया है उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं० 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। अपीलांत द्वारा गैर मुमकिन तलाई पर पक्का निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। अपीलांत बार बार कब्जा करने का आदि होने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट की गई है। उक्त अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांत की अपील खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति०जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 171/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु०न० 133/14 निर्णय दिनांक 9.10.14 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.10.19  
राजस्थान न्यायालय  
सवाई माधोपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

